विविध बैंक प्र0सं0 10/2018 भारतीय स्टेट बैंक शाखा पी–ब्लाक, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1–श्री नरेश कुमार मिढ़ा पुत्र श्री रामचंन्द्र मिढ़ा निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर, मैसर्स नरेश फ्रूट शॉप, शॉप न0 8, न्यू सब्जी मण्डी, श्रीगंगानगर (ऋणी) 2–श्रीमति लाजवंती पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर (गारन्टर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>26.02.2018</u>

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 31.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने श्री नरेश कुमार मिढ़ा पुत्र श्री रामचंन्द्र मिढ़ा निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर, मैसर्स नरेश फ्रूट शॉप, शॉप न0 8, न्यू सब्जी मण्डी, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 6,50,000/– रूपये (अखरे छः लाख पचास हजार मात्र) ऋण दिनांक 09.11.2012 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया गारंटर श्रीमति लाजवंती पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर ने अपनी रिहायाशी सम्पति मकान न0 45 (उत्तरी भाग, पूर्व दिशा में खुलता हुआ) आदर्श नगर, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 21′ गुणा 30′ कुल 630′ वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी श्री नरेश कुमार मिढ़ा द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.03.2017 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी नरेश कुमार मिढ़ा की ओर दिनांक 23.05.2017 तक ऋण राशि 6,69,995/–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस दिनांक 23.05.2017 को रजि0 डाक से भिजवाये गये। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए अप्रार्थीया गारंटर श्रीमति लाजवंती पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उसकी रिहायाशी सम्पति मकान न0 45 (उत्तरी भाग, पूर्व दिशा में खुलता हुआ) आदर्श नगर, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 21′ गुणा 30′ कुल 630′ वर्गफुट का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने श्री नरेश कुमार मिढ़ा पुत्र श्री रामचंन्द्र मिढ़ा निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर, मैसर्स नरेश फ्रूट शॉप, शॉप न0 8, न्यू सब्जी मण्डी, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 6,50,000/— रूपये (अखरे छः लाख पचास हजार मात्र) ऋण दिनांक 09.11.2012 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया गारंटर श्रीमति लाजवंती पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर ने अपनी रिहायाशी सम्पति मकान न0 45 (उत्तरी भाग, पूर्व दिशा में खुलता हुआ) आदर्श नगर, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 21′ गुणा 30′ कुल 630′ वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 23.05.2017 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा मांग सूचना के उत्तर में न तो कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी श्री नरेश कुमार मिढ़ा पुत्र श्री रामचंन्द्र मिढ़ा निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर, मैसर्स नरेश फ्रूट शॉप, शॉप न0 8, न्यू सब्जी मण्डी, श्रीगंगानगर व गारन्टर श्रीमति लाजवंती पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस दिनांक 23.05.2017 को भिजवाये गये। पत्रावली मे उपलब्ध धारा 13(2) नोटिस, रजि0 ए.डी. रसीदें व डाक विभाग द्वारा जारी डाक वितरण प्रमाण पत्रो के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा जारी धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और प्रार्थी बैंक द्वारा प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार भी अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नही किया है। इसलिए अप्रार्थीया गारंटर श्रीमति लाजवंती पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी रिहायाशी सम्पति मकान न0 45 (उत्तरी भाग, पूर्व दिशा में खुलता हुआ) आदर्श नगर, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 21′ गुणा 30′ कुल 630′ वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया गारंटर श्रीमति लाजवंती पत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र निवासी मकान न0 45 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी रिहायाशी सम्पति मकान न0 45 (उत्तरी भाग, पूर्व दिशा में खुलता हुआ) आदर्श नगर, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 21' गुणा 30' कुल 630' वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर